मतदाता अधिकारों की सूची

1. आपको वोट डालने का अधिकार तभी है जब आप एक वैध पंजीकृत मतदाता हों।

   एक वैध पंजीकृत मतदाता का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई नागरिक जो इस राज्य में निवास करता हो, जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और जो किसी घोर अपराध के लिये सजा पाने के कारण जेल में या परोल पर न हो, और जो अपने मौजूदा निवास के पते पर मत डालने के लिए पंजीकृत हो।

2. आपको एक अंतरिम मत डालने का अधिकार है यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं दिया गया है।

3. आपको वोट डालने का अधिकार तभी है जब आप मतदान समाप्त होने से पहले मतदान स्थल पर उपस्थित हों तथा पंक्ति में हों।

4. आपको बिना भय या धमकी के गुप्त रूप से मतदान करने का अधिकार है।

5. यदि अपना मतपत्र डालने से पहले आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, तो आपको एक नया मतपत्र लेने का अधिकार है।

   यदि अपना मतपत्र अंतिम रूप से डालने से पहले आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, तो आपको खराब हो गए मतपत्र के बदले एक नया मतपत्र लेने का अधिकार है। डाक–द्वारा–मतदान सम्बन्धी मतदाता भी एक नया मतपत्र मांग सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते चुनाव दिवस पर मतदान समाप्त होने से पहले वे अपना खराब मतपत्र किसी चुनाव अधिकारी को लौटा दें।

6. आपको अपना वोट डालने में सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, यदि आप बिना सहायता लिए वोट डालने में असमर्थ हों।

7. आपको काउन्टी के किसी भी प्रीसिंक्ट को पूरा किया गया डाक–द्वारा–मतदान सम्बन्धी मतपत्र लौटाने का अधिकार है।

8. आपको दूसरी भाषा में चुनाव सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते आपके प्रीसिंक्ट में ऐसा किए जाने के लिए पर्याप्त संख्या में निवासी हों।

9. आपको चुनाव प्रक्रिया के बारे में प्रश्न पूछने तथा चुनाव प्रक्रिया को देखने का अधिकार है।

   आपको प्रीसिंक्ट बोर्ड तथा चुनाव अधिकारियों से चुनाव प्रक्रिया के बारे में प्रश्न पूछने तथा उत्तर प्राप्त करने अथवा उत्तर पाने के लिए किसी उपयुक्त अधिकारी के पास भेजे जाने का अधिकार है। लेकिन, यदि निरंतर प्रश्न पूछने से बोर्ड या चुनाव अधिकारियों के दायित्व निभाने में बाधा पड़ती है, तो वे प्रश्नों का उत्तर देना बंद कर सकते हैं।

10. आपको अधिकार है कि आप किसी भी गैर-कानूनी या कपटपूर्ण गतिविधि की रिपोर्ट किसी स्थानीय चुनाव अधिकारी को अथवा राजकीय सचिव के कार्यालय में कर सकते हैं।

यदि आपको लगता है कि आपको इनमें से किसी भी अधिकार से वंचित किया गया है, अथवा आपको किसी भी चुनाव से जुड़ी धोखाधड़ी या गलत आचरण की जानकारी है, तो कृपया राजकीय सचिव की गोपनीय शुल्क मुक्त मतदाता हॉटलाइन (888) 345-2692 पर फोन करें।

आपके मतदाता पंजीकरण हलफनामे में दी गई सूचना का प्रयोग करके चुनाव अधिकारी आपको मतदान प्रक्रिया के बारे में आधिकारिक सूचना भेजेंगे, जैसे कि आपके मतदान स्थल की जगह और मुद्दे तथा उम्मीदवार जो मतपत्र पर दिखाई देंगे। मतदाता पंजीकरण सूचना का वाणिज्यिक उपयोग करने की कानूनन मनाही है और इसे एक दुष्कर्म माना जाएगा। राजकीय सचिव द्वारा तय किए गए अनुसार किसी पद के उम्मीदवार, मतपत्र विधेयक समिति को, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव, अध्ययन, पत्रकारिता, राजनीतिक, अथवा सरकारी उद्देश्यों के लिए मतदाता जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। आपके मतदाता पंजीकरण कार्ड पर दर्शाए गए ड्राइवर लाइसेंस और सोशल सिक्युरिटी नम्बर, अथवा आपके हस्ताक्षर, इन उद्देश्यों के लिए नहीं दिए जा सकते। यदि आपके मन में मतदाता जानकारी के संबंध में कोई प्रश्न हों अथवा आप ऐसी जानकारी के संदिग्ध दुरुपयोग की रिपोर्ट करना चाहते हों, तो कृपया राजकीय सचिव की मतदाता हॉटलाइन (888) 345-2692 पर फोन करें।

कुछ ऐसे मतदाता जिनके समक्ष जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति हो, गोपनीय मतदाता के दर्ज़े हेतु योग्य हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, राजकीय सचिव के घर पर सुरक्षित कार्यक्रम में शुल्क मुक्त (877) 322-5227 पर संपर्क करें अथवा विज़िट करें - *www.sos.ca.gov*।